

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

प्रा० पत्र संख्या ० 31/2017 सुरजमल बनाम चमणजी वैरा



का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र
सिस्टम स्थानांतरण खारिज फरमाया जाये। अधिमूर्खा
उपखण्ड को सुनाया एवं पत्रावली में अवलोकन
किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानांतरण में अंकित तथ्यों
की मध्यमजर रखते हुए पूर्ण तत्कालीन उपखण्ड
अधिमारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये
प्रार्थना पत्र स्थानांतरण का आगे चलाने जाने का कोई
औचित्य नहीं है अतः न्यायालय उपखण्ड अधिमारी
सिकराय में विचाराधीन मु० नं० 22/2012 उनवामी दमरवी
बनाम सुरजमल को अन्य स्वक्षम न्यायालय में स्थानांतरण
करने हेतु प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। निवेदन की प्रति अधिमूर्ख न्यायालय उपखण्ड
अधिमारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली में मूल
शुभार होकर नम्बर से कम है एवं प्रविष्ट लेख भण्डार हो।
निवेदन आज दिनांक 25-10-17 को सुले न्यायालय में
सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
दौसा